संख्या: डब्ल्यू-11042/34/2014-एनबीए

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

****

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,

सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड,

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2014

सेवा में,

प्रधान सचिव/ सचिव,

प्रभारी स्वच्छता,

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और पश्चिमी बंगाल

विषय: मंत्रालय की गंगा कार्य योजना के अंतर्गत संशोधित समय-सीमा।

महोदय,

गंगा कार्य योजना के अंतर्गत लक्ष्यों की उपलब्ध्यिों के लिए राज्यों को पहले समय-सीमा सूचित की गई थी। अब समय-सीमा में संशोधन किया गया है और उसे राज्यों की सूचना एवं कार्यान्वयन हेतू नीचे दिया गया है।

लक्ष्य संख्या	उप-लक्ष्य	लक्ष्य	मूल समय-सीमा	प्रस्तावित संशोधित समय-सीमा
1.	1 (क)	पहचान की गई प्रत्येक ग्राम पंचायत में (1-4-2014 की स्थिति के अनुसार) वैयक्तिक शौचालयों के बिना परिवारों की आधी संख्या	31.12.2014	30.9.2015
	1 (ख)	इन ग्राम पंचायतों में आईएचएचएल के साथ प्रत्येक परिवार को कवर करना	31.3.2015	31.3.2016
2.		एक सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) अभियान शुरू	1.8.2014	1.10.2014

		करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम से कम एक घर से दूसरे घर के मासिक दौरे सहित आईपीसी गतिविधियाँ शामिल हैं।		
3.		इन ग्राम पंचायतों में प्रत्येक स्कूल और आँगनबाड़ी में पर्याप्त संख्या में शौचालय उपलब्ध कराना।	31.3.2015	31.3.2016
4.	5 (क)	प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल सीएससी का निर्माण करना।	31.3.2015	31.3.2016
5.	5 (ख)	प्रत्येक जिले में पहचान की गई ग्राम पंचायतों के 50 प्रतिशत में एसएलडब्लयूएम गतिविधियाँ शुरू करना।	31.12.2014	1.4.2015
		प्रत्येक जिले में पहचान की गई ग्राम पंचायतों के शेष 50 प्रतिशत में एसएलडब्यलूएम गतिविधियाँ शुरू करना।	31.3.2015	1.9.2015
6.		कार्य योजना के अंतर्गत तृतीय पक्ष गतिविधियों की स्वतंत्र मॉनिटरिंग शुरू करना।	1.4.2016	1.4.2016

राज्यों से अनुरोध है कि वे संशोधित समय-सीमा के आधार पर राज्य कार्य-योजना तैयार करें। इसके अलावा राज्यों से यह भी अनुरोध है कि वे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत संशोधित वित्तीय प्रावधानों के आधार पर गंगा कार्य योजना की वित्तीय आवश्यकताओं की गणना करें।

भवदीय,

(सुजॉय मजूमदार)
निदेशक (एसबीएम-जी)